

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
CENTRAL ZONE, BHOPAL**

**Original Application No. 101/2023**

**IN THE MATTER OF:**

**Petitioner** Abhay Jain

**Versus**

**Respondents** State of Madhya Pradesh & Ors.

**I N D E X**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page No.</b>
<b>1.</b>	Compliance Report on Behalf of The Director, Mining and Geology, State Of Madhya Pradesh		02-05
<b>2.</b>	Affidavit		06
<b>3.</b>	Copy of Letter dated 30.05.2023	<b>1</b>	07-09
<b>4.</b>	Copy of Order dated 31.07.2023	<b>2</b>	10-13
<b>5.</b>	Copies of E-Tenders and Letter of Acceptances	<b>3 (Colly.)</b>	14-22
<b>6.</b>	Copies of Demand Notices Dated 10.10.2023	<b>4 (Colly.)</b>	23-31
<b>7.</b>	Vakalatnama		32

**Date: 11.10.2023**

**Place: Bhopal**



**Through Counsel  
Prashant M. Harne  
Standing Counsel  
State of Madhya Pradesh**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
CENTRAL ZONE, BHOPAL**

**Original Application No. 101/2023**

**IN THE MATTER OF:**

**Petitioner** Abhay Jain

**Versus**

**Respondents** State of Madhya Pradesh & Ors.

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE  
DIRECTOR, MINING AND GEOLOGY, STATE OF  
MADHYA PRADESH**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :-

1. That the present Original Application is a letter petition filed before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi and the same was registered as Original Application No. 408 of 2022, wherein it is alleged by the applicant that Central Government notified Madhav National Park, Eco-sensitive Zone (ESZ) which is spread over an area of 277.20 km<sup>2</sup> and ESZ Notification contains a list of villages falling within ESZ and Village Majhera, District Shivpuri is one of those villages. As per ESZ notification, all new and existing (minor and major minerals), Stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. Despite the prohibition

illegal mining is taking place in forest and revenue areas at Village Majhera, District Shivpuri.

2. Thereafter the present Original Application, vide order dated 21.08.2023 at National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi was transferred to this Hon'ble Tribunal.
3. That vide Order dated 13.09.2023 the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bhopal, directed the Respondent to implement the Mine Closure Plan and recovering the amount from the Project Proponents. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal, the relevant extract from order dated 24.03.2023 is reproduced hereinunder :-

*Accordingly, in light of order and in light of the Polluters Pay Principle the Collector is directed to implement the Mine Closure Plan by recovering the amount from the Project Proponents according to the rules and submit the report within 30 days.*

4. That in compliance of the aforementioned order, the Collector / Chairman, District Mineral Foundation, Shivpuri, Madhya Pradesh sought approval through DMF Portal from the Madhya Pradesh State Mineral Resource Department for a total amount of Rs. 1,19,00,000/- (one crore and nineteen lakhs only) for proper Mine Closure in District Shivpuri. That vide letter dated 30.05.2023, Madhya Pradesh State Mineral Resource Department granted the approval for the aforementioned amount and vide Order dated 31.07.2023 of the Office of District Minerals

Foundation was released the amount of Rs. 1,19,00,000/- (one crore and nineteen lakhs only) and various heads were identified for funds to be allocated. That the copies of Letter dated 30.05.2023, Madhya Pradesh State Mineral Resource Department and Order dated 31.07.2023 of the Office of District Minerals Foundation are marked and annexed herewith as **Annexure 1** and **Annexure 2** respectively.

5. It is submitted that after the funds were released and allocated the Office of the Executive Engineer, Rural Engineering Services Division Shivpuri (M.P.) floated E-Tenders for various heads of works as identified in Order dated 31.07.2023, and thereafter the same were allotted to Contractors with a stipulated timeline of four months from the date of the agreements. That copies of E-Tenders floated and Letter of Acceptances issued by the Office of the Executive Engineer, Rural Engineering Services Division Shivpuri (M.P.) are marked and annexed herewith as **Annexure 3 (Colly.)**.
6. It is further pertinent to note here that in compliance of the abovementioned Order dated 13.09.2023 of this Hon'ble Tribunal, wherein it was directed that the District Collector, Shivpuri in lieu of Polluter Pay Principal and the rule of law has issued Demand Notices dated 10.10.2023 against 9 Project Proponents and the copies of the same are marked and annexed herewith as **Annexure 4 (Colly.)**

7. That an affidavit in support of this Compliance Report is attached herewith.

**Date: 11.10.2023**

**Place: Bhopal**



**Through Counsel  
Prashant M. Harne  
Standing Counsel  
State of Madhya Pradesh**



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
CENTRAL ZONE, BHOPAL**

**Original Application No. 101/2023**

**IN THE MATTER OF:**

**Petitioner** Abhay Jain


**Versus**

**Respondents** State of Madhya Pradesh & Ors.

**AFFIDAVIT**

I, Anoop Mishra, S/o K.K. Mishra,  
Officer-in-Charge, office at Directorate of Geology &  
Mining, M.P. Bhopal do hereby solemnly affirm on  
oath as under:

1. That I am Officer in Charge for State of Madhya Pradesh in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing an Compliance Report in the aforementioned matter before the Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct and no material fact.
3. That the contents of the Compliance Report are true and correct and no material fact is concealed or suppressed.



S.No. 605/2023  
Dated... 11/10/2023

[Signature]  
**DEPONENT**

**VERIFICATION**


I the above-named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct.

Signed and verified on this 11<sup>th</sup> Day of October 2023 at Bhopal (MP)

IDENTIFIED BY ME  
[Signature]  
Prashant M. Harve  
Adv.

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE  
ME BY THE WITHIN NAME  
[Signature] 11/10/2023  
SUNITA BHADORIYA  
NOTARY  
BHOPAL (M.P.) INDIA

[Signature]  
**DEPONENT**



मध्यप्रदेश शासन  
खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय

Abhay Jais  
408/22

क्रमांक - 2141.../R-1348779/2023/12/1/P-34

भोपाल, दिनांक- 30/05/2023

प्रति

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,  
जिला खनिज प्रतिष्ठान,  
जिला-शिवपुरी, मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 14(2)(ग) के तहत प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में।

संदर्भ:- आपके द्वारा डी.एम.एफ. पोर्टल के माध्यम से विभाग के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 संशोधन दिनांक 25.08.2022 के नियम 14(2) में विनिर्दिष्ट पोर्टल (वन विभाग) के माध्यम से प्रस्ताव राज्य शासन के अनुमोदन हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	उच्च प्राथमिता क्षेत्र अंतर्गत		अन्य प्राथमिता क्षेत्र अंतर्गत		कुल लागत राशि (करोड़)	रिमार्क
	कार्यों की संख्या	लागत राशि (करोड़)	कार्यों की संख्या	लागत राशि (करोड़)		
1	00	00	01	1.19	1.19	सूची संलग्न

2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित कार्य नियम 13 के उप-नियम (2) के खण्ड (ड.) भाग-ख रकम के आवंटन से संबंधित कार्ययोजना का नियम 14(2)(ग) के तहत अनुमोदन हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया गया।

3. लेख है कि, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 यथा संशोधित के नियम 14 के उप-नियम (2) के खण्ड (इ) में निम्नानुसार प्रावधान है:-



नियम 14(2)(इ) - एक करोड़ से कम की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा दी जाएगी। यदि कार्य / परियोजना की लागत एक करोड़ से अधिक है तो मामला जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाएगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग के लागू निर्देशों के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर जिला खनिज प्रतिष्ठान को कार्य की स्वीकृति के लिए अनुमति प्रदान करेगा।”

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत कार्ययोजना पर मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 एवं मध्यप्रदेश भंडारण कय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 में विहित प्रावधानों का पालन करने तथा उपलब्ध राशि (भाग-ख) के अंतर्गत वन विभाग को नियमानुसार स्वीकृतियां जारी कर क्रियान्वयन किये जाने की शर्त पर नियम 14(2)(इ) के तहत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस परियोजना की राशि सक्षम स्वीकृति अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, सिंगरौली से विकलनीय होगी।

  
20/5/23  
(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव


म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

पृ.क्रमांक- 2142/R-1348779/2023/12/1/P-34

भोपाल, दिनांक - 30/05/2023

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
  - 2- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
  - 3- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
  - 4- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
  - 5- संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म) संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 6- कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
  - 7- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
  - 8- प्रभारी खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी/सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9- गार्ड फाईल।

  
20/5/23 P  
अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

## परिशिष्ट-1

राज्य स्तरीय डी.एम.एफ. बैठक में स्वीकृत कार्य (दिनांक 10.05.2023)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	प्राथमिकता क्षेत्र	अनुमानित लागत (करोड़ में)	क्रियान्वयन एजेंसी
1	शिवपुरी	माननीय एन.जी.टी.के आदेशानुसार शिवपुरी के वन क्षेत्र में पुर्नभरण कार्य	अन्य प्राथमिकता (d)	1.19	Forest Department



(20)

**10**  
**कार्यालय जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला शिवपुरी (म.प्र.) Annexure 2**

// प्रशासकीय स्वीकृति आदेश //

कमांक/845-55/जि.ख.प्र./2023,

शिवपुरी, दिनांक - 31-07-2023

मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ 19-5 /2015/12/2 भोपाल दिनांक 04.08.2016 के द्वारा मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 लागू किये गये हैं, इसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28.07.2016 को किया गया है। जिला खनिज प्रतिष्ठान मण्डल अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक R-1348779/2023/12/1/P-34 भोपाल दिनांक 23/07/2023 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए क्रियान्वयन एजेंसी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) को बनाया गया है। इस कार्य पर होने वाला व्यय जिला खनिज प्रतिष्ठान मद सिंगरौली से विकलनीय होने का लेख किया गया है।

कॉलम नं. (6) में दी गई प्रशासकीय स्वीकृति राशि बिन्दु (13) में दर्शित शर्तों के परिपालन में निर्मित की जावेगी।

क्रं	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)	शिवपुरी	मझेरा	माननीय एन.जी.टी. के आदेशानुसार ग्राम मझेरा में उत्खनन से निर्मित गड्ढों का पुर्नभरण कार्य	1.19
				<b>Total</b>	<b>1.19</b>

प्रशासकीय स्वीकृति की राशि शब्दों में (एक करोड़ उन्नीस लाख रुपये मात्र)

नोट:- कार्य एजेंसी का खाता नं. (पास बुक की हस्ताक्षरित छायाप्रति) उपलब्ध कराने पश्चात प्रथम किस्त जारी की जा सकेगी।

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी के पत्र कमांक 3410 दिनांक 24.07.2023 से निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है :-

क्र.	कार्य का नाम	विकासखण्ड	मद	तक.स्वी. दिनांक	क्र. तक. स्वीकृति की राशि रु. लाख में	एजेंसी
1	Back Filling work of excavation	शिवपुरी	DMF	1007 / 24.07.2023	34.195	आर.ई.एस.

	Earth at Mining pits					
2	Protection work in wather harvesting tank in सर्वे नम्बर 300	शिवपुरी	DMF	1008 / 24.07.2023	14.125	आर.ई.एस.
3	Protection work in wather harvesting tank in सर्वे नम्बर 301	शिवपुरी	DMF	1009 / 24.07.2023	21.125	आर.ई.एस.
4	चैक डेम निर्माण मझेरा सर्वे नम्बर 3007- 307	शिवपुरी	DMF	1010 / 24.07.2023	10.85	आर.ई.एस.
5	सामूहिक वृक्षारोपण मझेरा सर्वे नम्बर 137	शिवपुरी	DMF+ मनरेगा	1011 / 24.07.2023	13.545 (10.57+2.97)	स्व. सहायता समूह (एन.आर. एल.एम.)
6	सामूहिक वृक्षारोपण मझेरा सर्वे नम्बर 300, 301	शिवपुरी	DMF+ मनरेगा	1012 / 24.07.2023	16.44 (12.84+3.6)	स्व. सहायता समूह (एन.आर. एल.एम.)
7	सामूहिक वृक्षारोपण कार्य मझेरा सर्वे नम्बर 314, 315, 316	शिवपुरी	DMF+ मनरेगा	1013 / 24.07.2023	19.57 (15.29+4.28)	स्व. सहायता समूह (एन.आर. एल.एम.)
योग :-					129.85 (119 +10.85)	

### निर्माण कार्य की शर्त:-

1. इस योजना के अंतर्गत किसी भी कार्य के लिये किसी भी प्रकार के ठेकेदारों/सप्लायरों को अग्रिम राशि का भुगतान करना निषिद्ध है। जहां कहीं भी मार्गदर्शिका ठेकेदारों/ प्रायोजकों को काम में न लगाया जावे। जहां ठेकेदारों से कार्य करना अनुमत है वहां कार्यकारी एंजेंसी विभागीय प्रणाली का अनुसरण करे।
2. कार्य स्थल के समीप साईन बोर्ड लगाया जावे, जिसमें योजना का नाम, कार्य की लागत, कियान्वयन एंजेंसी का नाम, कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता का दिनांक अंकित होगा तथा यह सुनिश्चित करें कि उक्त कार्य किसी अन्य मद से स्वीकृत ना हुआ हो।
3. निर्माण कार्य शासकीय भूमि पर ही कराया जावे, कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्माण स्थल का निरीक्षण एवं कार्य स्थल का खसरा, नक्शा/वन कक्ष की जानकारी प्राप्त किया जावे। कार्य प्रारंभ/ करने के पूर्व स्थल की उपयुक्त एवं कार्य की उपयोगिता अनिवार्यतः सुनिश्चित की जावे। यदि कार्य के मध्य निजी भूमि आती हो तो शासन के पक्ष में स्वीकृति प्राप्त करके ही

- कार्य प्रारंभ करें किसी के व्यवहारागत लाभ के लिये कोई कार्य नहीं किया जावेगा न ही निजी भूमि आने पर मुआवजे की राशि दी जावेगी।
4. योजनांतर्गत प्राप्त राशि की विभागीय रसीद पावती अविलम्ब भेजना होगा। द्वितीय किश्त की मांग पत्र के साथ कार्य स्थल पर बोर्ड लगा होने, संबंधी प्रमाण पत्र, कार्य स्थल के विभिन्न चरणों के छायाचित्र एवं किन्यान्वयन एजेंसी द्वारा माप पुरितका की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जावेगी। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य प्रारंभ के दौरान तथा कार्य पूर्णता के छायाप्रति अनिवार्यतः विभागीय अभिलेख में रखे।
  5. स्वीकृत कार्य का रख-रखाव संबंधित स्थानीय निकाय अथवा कार्यकारी एजेंसी द्वारा संबंधित विभाग को हस्तांतरण कर इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
  6. योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य पर सामान्य वित्तीय और लेखा प्रक्रिया लागू होगी। सामग्री का क्रय म.प्र. भंडार नियमों के तहत किया जावेगा। वर्क मेन्युयल का दृणता से पालन कर गुणवत्तापूर्वक कार्य पूर्ण किया जावेगा।
  7. किन्यान्वयन एजेंसी के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी की वे कार्य को नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और क्षेत्रीय दौरों के दौरान पता लगाये की कार्य की प्रगति संतोषजनक ढंग से चल रही है।
  8. स्वीकृत निर्माण कार्य गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच प्रतिवेदन (RECLAMATION PLAN) दिनांक 12/01/2023 के अनुसार पूर्ण करना होगा। विलम्ब की दशा में लागत बदली है तो अतिरिक्त आवंटन नहीं दिया जावेगा, कार्य समय सीमा में पूर्ण करने की जिम्मेदारी किन्यान्वयन एजेंसी की होगी।
  9. निर्माण कार्य अनुमोदित नक्शों प्राक्कलन विभाग में प्रचलित मानक तथा समय-समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक किया जावेगा। जहां कहीं वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण की आवश्यकता हो उस स्थान पर उनकी सेवायें प्राप्त की जावे।
  10. व्यय एवं कार्य अनियमितताएं तथा ऑडिट आपत्तियों के लिये व्यय कर्ता अधिकारी (निर्माण एजेंसी) पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होने की दशा में कार्य से संबंधित समस्त अभिलेख की एक प्रति संबंधित जनपद पंचायत के कार्यालय से संपादित किये जावेगी। कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने एवं मूल्यांकन के पश्चात राशि व्यय हेतु संबंधित कार्य एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरांत कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  11. निर्माण कार्य का मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जावे। यह प्रतिवेदन निर्माण कार्य के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर निर्मित परिसंपत्ति उपयोगकर्ता विभाग को हस्ता. करने की तिथि तक भेजना अनिवार्यतः होगा।
  12. निर्माण कार्य पर स्थानीय श्रमिकों को रोजगार पर लगाना होगा तथा मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित दर मजदूरी का भुगतान करना होगा।

3. निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के साथ गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच प्रतिवेदन पुनर्भरण योजना (RECLAMATION PLAN) अनुसार कार्य के विभिन्न चरणों के फोटोग्राफ के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर राशि देय होगी।

  
कलेक्टर एवं अध्यक्ष

जिला खनिज प्रतिष्ठान मद

जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक - 31-07-2023

पृ.क्रमांक/845-/जि.ख.प्र./2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक भौमिकी तथा खनिजकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख अभियंता ग्रामणी यांत्रिकी सेवा विध्यांचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।
7. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. जिला खनिज अधिकारी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. लेखाधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
कलेक्टर एवं अध्यक्ष

जिला खनिज प्रतिष्ठान मद

जिला शिवपुरी

कार्यालय कार्यपालन यंत्रि  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी (म0प्र0) पिन 473551

Email: eeresshlvपुरी@mp.gov.in

क्रमांक 3851 / गायसे/ ई-निविदा/2023

शिवपुरी, दिनांक 11/09/23

// विस्तृत ई-निविदा आमन्त्रण सूचना क्रमांक - 21/EERESHIV/2023-24 //

निम्नलिखित कार्य हेतु मध्यप्रदेश सरकार के केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन पणाली में पंजीकृत अथवा अन्य समकक्ष समतुल्य श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से स.क्र. 1 से 3 तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दर अनुरूपी दिनांक 11-04-2022 तथा स.क्र. 4 दिनांक 04-01-2019 पर एवं निविदा आमन्त्रण दिनांक तक संशोधित प्रतिशत दर पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	टेंडर आईडी क्र.	कार्य का नाम / स्थान	जिले का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु.लाख में)	अमानत राशि (रु.में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.में)	समयावधि (वर्ष/माह/सप्ताह)	निविदा आमंत्रण का क्रम
1	2023_RES_307867	वाटर हार्वीस्टिंग टैंक का सुरक्षा कार्य सर्वे नं. 300 विख शिवपुरी पिन- 473551	शिवपुरी	11.52	23100	2000	4 माह	पथम
2	2023_RES_307868	वाटर हार्वीस्टिंग टैंक का सुरक्षा कार्य सर्वे नं. 301 विख शिवपुरी पिन- 473551	शिवपुरी	17.28	34600	2000	4 माह	पथम
3	2023_RES_307870	चैकडेम निर्माण मझौरा गा.प. मझौरा सर्वे नं. 3007 विख शिवपुरी पिन- 473551	शिवपुरी	08.84	17700	2000	4 माह	पथम
4	2023_RES_308275	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ग्राम दुल्हई विख पिछोर पिन- 473995	पिछोर	10.72	21500	2000	6 माह	द्वितीय (रिड कास्ट)

Critical Dates		
Publish Date	20-Sep-2023 10:30 AM	Bid Opening Date
Document Download / Sale Start Date	20-Sep-2023 10:30 AM	Document Download / Sale End Date
Bid Submission Start Date	21-Sep-2023 10:30 AM	Bid Submission End Date

निविदा हेतु सामान्य निर्देश/अनुदेश:-

- निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही ऑनलाइन ही National Information Centre (NIC) द्वारा विकसित नवीन web portal <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से संपन्न होगी।
- निविदा प्रपत्र क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग द्वारा पोर्टल फीस भुगतान कर ऑनलाइन क्रय किये जा सकेंगे।
- बिड सबमिट करते समय निविदाकार को बिड डोक्यूमेंट शुल्क, ई.एम.डी., बैंक लिस्ट, शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) सबमिट करना अनिवार्य होगा।
- कार्य संबंधी विस्तृत विवरण आदि कार्यालय में कार्यालयीन समय में शासकीय कार्यदिवस में उपस्थित होकर देखी जा सकती हैं।

cont.. 2

कार्यालय मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)

लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

ईमेल :- cepwdcapital@mp.nic.in, दूरभाष/फैक्स क्रमांक :- 0755-2551403

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 45/सा/01/विधि/2019 (वर्ष 2023)

भोपाल, दिनांक : 14.09.2023

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमांक
1.	2023_PWDRB_304132_1	हरदा	प्लान	ग्राम सारंगपुर से ग्राम खरड़ होते हुये धनवाड़ा मार्ग 4.60 कि.मी.।	चतुर्थ	629.26	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
2.	2023_PWDRB_304133_1	हरदा	प्लान	सेलगांव से खामपड़वा धुमगाड़ा मार्ग लं. 9.64 कि.मी. निर्माण।	द्वितीय	1631.09	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
3.	2023_PWDRB_304134_1	हरदा	प्लान	हरदा मगरधा मार्ग का निर्माण कार्य लं. 8.00 कि.मी.।	द्वितीय	1081.63	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
<b>योग -</b>						<b>3341.98</b>	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 27.09.2023 (17.30) बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता

जी-19874/49091/2023

लोक निर्माण विभाग, भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सभाग शिवपुरी (म.प्र.) पिन 473551

Email : eeresshivpuri@mp.gov.in

क्रमांक/3835/प्रायासे/ई-निविदा/2023

शिवपुरी, दिनांक : 14.05.2023

संक्षिप्त ई-निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक - 21/EERESHIV/2023-24

निम्नलिखित कार्यों हेतु मध्यप्रदेश सरकार के केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत अथवा अन्य समकक्ष समतुल्य श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दर अनुसूची दिनांक 11.04.2022 एवं निविदा आमंत्रण दिनांक तक संशोधित प्रतिशत दर पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	प्रायासेवा सभागिय कार्यालय	कार्यों का संक्षिप्त नाम/प्रकार	सिस्टम टेण्डर नंबर	कार्यों की अनु. लागत (रु. लाख में)
1.	शिवपुरी	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का सुरक्षा कार्य सर्वे क्र. 300 विखं शिवपुरी पिन-473551	2023_RES_307867	11.52
2.	शिवपुरी	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का सुरक्षा कार्य सर्वे क्र. 301 विखं शिवपुरी पिन-473551	2023_RES_307868	17.28
3.	शिवपुरी	चैकडेम निर्माण मझेरा ग्रा.पं. मझेरा सर्वे नं. 3007 विखं शिवपुरी पिन-473551	2023_RES_307870	08.84
4.	शिवपुरी	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ग्राम दुल्हई विखं पिछोर पिन-473995	2023_RES_308275	10.72
<b>कुल योग -</b>				<b>48.36</b>

1. विस्तृत निविदा सूचना विवरण वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है। 2. निविदा प्रपत्र दि. 20.09.2023 समय 10.30 AM से दि. 29.09.2023 समय 5.30 PM तक केवल ऑनलाइन क्रय एवं सबमिट किए जा सकेंगे। 3. यदि निविदा में कोई संशोधन किया जाता है तो सिर्फ <https://www.mptenders.gov.in> पर ही Publish किया जावेगा, समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-19915/49093/2023

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सभाग शिवपुरी

कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

भोपाल मंडल भोपाल पुराना सचिवालय भोपाल

दूरभाष 0755-2738774, E-Mail ID - scresbhopal@mp.gov.in

निविदा विज्ञप्ति क्र. - 07/2023-24

क्रमांक 1884

निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्यों का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

दिनांक : 15.09.2023

मध्य यांत्रिकी खण्ड बालाघाट

आमंत्रण

सामान्य नलकूप खनन कार्य की मुहरबंद निविदा प्रपत्र लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जायेगी। निविदा सूचना क्रमांक 45/सा/01/विधि/2019 (वर्ष 2023) [mptenders.gov.in](https://mptenders.gov.in) द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार निविदा

कार्य पूर्ण करने की समयावधि	निविदा प्रपत्र क्रय करने की एवं दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ऑनलाइन खुलने की तिथि	पंजीकृत ठेकेदार की श्रेणी
2 माह	29.09.2023	03.10.2023	
2 माह	29.09.2023	03.10.2023	
2 माह	29.09.2023	03.10.2023	
2 माह	29.09.2023	03.10.2023	लोक निर्माण विभाग में नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
2 माह	29.09.2023	03.10.2023	
2 माह	29.09.2023	03.10.2023	
2 माह	29.09.2023	03.10.2023	

नकारी वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर

rs.gov.in) में पंजीयन करायें।

समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। यह संशोधन प्रपत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क क्रेडिट कार्ड, ए.टी.एम से उपरोक्त वेबसाइट पर भुगतान कर केवल ऑनलाइन प्रपत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री

मध्य यांत्रिकी खण्ड, बालाघाट म.प्र. (07632-241131)

लोक निर्माण विभाग (भोपाल परिक्षेत्र)

भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष/फैक्स क्रमांक :- 0755-2551403

निविदा सूचना

भोपाल, दिनांक : 12.09.2023

उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट

आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमांक
द्वितीय	589.46	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।

कार्यालय अधीक्षण यंत्री

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) पिन- 474011

0751-2344420 (0)

seresgwaliior@mp.gov.in

क्रमांक/1068/ग्रा.याँ.से./ई-निविदा/2023

ग्वालियर, दिनांक 26/09/2023

// विस्तृत ई-निविदा आमन्त्रण सूचना क्रमांक- 07/SERESGwl/2023-24 //

निम्नलिखित कार्यो हेतु म.प्र. सरकार के केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत अथवा अन्य समकक्ष / समतुल्य श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं-

क्र.	टेण्डर आईडी क्र.	कार्य का नाम/स्थान	जिले का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (₹ लाख में)	अमानत राशि (₹ में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹ में)	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	निविदा आमंत्रण का क्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2023_RES_311893_1	Back Filling Work of Excavated Pits at Mining Site Gram Majhera Block Shyppuri (Pin- 473551)	शिवपुरी	28.04	50000	5000	180 दिन	प्रथम

Critical Dates

Publish Date	04.10.2023 09:00 AM	Bid Opening Date	23.10.2023 11:00 AM
Document Download / Sale Start Date	04.10.2023 09:00 AM	Document Download / Sale End Date	20.10.2023 06:00 PM
Bid Submission Start Date	05.10.2023 09:00 AM	Bid Submission End Date	20.10.2023 06:00 PM

निविदा हेतु सामान्य निर्देश/अनुदेश:-

- निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही ऑनलाईन ही National Information Centre (NIC) द्वारा विकसित नवीन web portal <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से संपन्न होगी।
- निविदा प्रपत्र क्रेडिट/डेबिट/केश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग द्वारा पोर्टल फीस भुगतान कर ऑनलाईन क्रय किये जा सकेंगे।
- बिड सबमिट करते समय निविदाकार को बिड डॉक्यूमेंट शुल्क, ई.एम.डी., चैक लिस्ट, शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) ऑनलाईन सबमिट करना अनिवार्य होगा।
- कार्य संबंधी विस्तृत विवरण आदि संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है।
- निविदाकार को निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल निरीक्षण करना श्रेयस्कर होगा।
- भवनों में विद्युतीकरण के कार्य का लाइसेन्सशुदा व्यक्ति से परीक्षण कराया जाकर टेस्ट रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाना होगी।
- वे अर्ह निविदाकार जो लो.नि.वि. म.प्र. शासन के अन्तर्गत पंजीबद्ध नहीं हैं, पंजीकरण हेतु आवेदन कर निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे (आवेदन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तथा अनुबंध के समय पंजीयन प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदसमय पंजीयन प्रमाण पत्र के अभाव में अनुबंध लिप्यादित नहीं किया जा सकेगा।

8. ठेकेदार द्वारा शपथ पत्र, पंजीयन की मूल प्रति फर्म/ कंपनी के निर्माण तथा पार्टनशिप डीड, मुख्तियारनामा/ पा ऑफ अटॉर्नी (यदि आवश्यक हो तो), निविदाकार का पेन नम्बर एवं जीएसटी की वैधता संबंधी दस्तावेज तथा प में कार्यरत अभियंता आदि की जानकारी ऑनलाईन स्केन कॉपी के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोई दस्तावेज हार्डकॉपी में इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जावे।
9. चयनित निविदाकार द्वारा अनुबंध न किये जाने की स्थिति में अमानत राशि राजसात करली जावेगी।
10. निविदा प्रपत्र 2.10 का ठीक प्रकार से अध्ययन करलें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए ति उत्तरदायी नही रहेगा और न ही किसी निविदाकार के चाहने पर निविदा जमा करने की तिथि में वृद्धि की जावे।
11. निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD राशि के भुगतान/रिफण्ड की प्रक्रिया ऑनलाईन ही रहेगी।
12. निविदाकार बेवपोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने से पहले सभी दस्तावेजों (जो सुस्पष्ट/पठनीय हों) में पृष्ठ क्रम अंकित कर, एक सीक्वेन्स में Pdf फॉर्मेट में Scan कर तथा दस्तावेज पृष्ठ अधिक संख्या में होने पर Rai फा में अपलोड करें।
13. निविदाकार को अपनी दरें प्रस्तुत करने हेतु विभाग द्वारा अपलोड की गई ऐक्सल की फाईल में अपनी बाँ जानकारी भरने के पश्चात कोटेड रेट की लाईन में Select कर Excess (+)/ Less (-) दरें प्रस्तुत करना होंगी।
14. तकनीकी एवं वित्तीय ऑफर की Evaluation रिपोर्ट (निर्णय सहित) निविदा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
15. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यंत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. 2492/22/वि-10/ग्रा.या.से./2018 भोपाल दि. 03.05.2018 के माध्यम से राशि रुपये 50.00 लाख से अधिक लागत की निविदाओं के लिये प्री-क्वालीफिकेशन शर्त लागू होगी। तकनीकी प्रस्ताव Annexure I (Format I-1 to I-5) पर ही अपलोड करें।
16. भौतिक एवं वित्तीय क्षमता का आकलन निविदा प्रपत्र में निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत जानकारी अनुसार जायेगा।
17. कार्यों के प्राक्कलन ग्रामीण यंत्रिकी सेवा द्वारा दिनांक 11.04.2022 से लागू तथा निविदा सूचना दिनांक तक SOR में हुये संशोधन पर बनाये गये हैं। विसंगति होने पर BOQ से संबंधित SOR की दरें मान्य होंगी अतः निविदा करते समय BOQ का आवश्यक रूप से अवलोकन कर लिया जावे।
18. ठेकेदार की निविदा दरें SOR से 15% से भी कम प्राप्त होने पर 15% से अधिक कमी के निविदा प्रतिशत के अंत अतिरिक्त परफोरमेंस गारंटी ली जायेगी एवं कार्य हेतु लागू दर अनुसूची से कम दरें निविदा करने की स्थिति निविदा खोले जाने की दिनांक तक शारान द्वारा जारी दिशा-निर्देश बन्धनकारी होंगे।
19. निविदा प्रपत्र के एपेंडिक्स 2.10 के Section 3 condition of contract part-II Special Conditions contract (SCC) में राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत निम्न शर्त जोड़ी जाती है "Bidders are required offer their bids exclusive of applicable GST the GST shall be paid by the Government the Contractor separately." (दिनांक 01.11.2017 के पूर्व लागू दर सूची छोड़कर)।
20. निविदाकार या फर्म के द्वारा एक कार्य की एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत नहीं की जावेगी। प्रत्येक कार्य के निविदाकार के द्वारा पृथक से निविदा प्रस्तुत की जाना होगी।
21. निविदा निरस्त, स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
22. निविदाकार की निविदा स्वीकृति उपरांत अनुबंध के समय अनुबंध की राशि की 5% प्रतिशत परफोरमेंस सिक्कि FDR के रूप में कार्यपालन यंत्र के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है, जो कार्य अवधि+3 माह समयावधि वैध होनी चाहिए।
23. डिफेक्ट लायबिलिटी के रूप में 5% राशि प्रत्येक चल देयक से कटोत्रा की जावेगी एवं उक्त राशि कार्य उपरांत डिफेक्ट लायबिलिटी हेतु निर्धारित 24 माह (दो वर्ष) की अवधि के पश्चात ही नियमानुसार वापस जावेगी।
24. अनुबंध के समय स्टाम्प ड्यूटी शासन के नियमानुसार देय होगी।
25. श्रम संविदा एक्ट के अंतर्गत अनुबन्ध होने के पश्चात एक माह के अंदर जीवित लेबर लायसेन्स प्रस्तुत अनिवार्य है एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
26. अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जी.एस.टी. के सम्बन्ध में शासन द्वारा वर्तमान 18 अविष्य में समय-समय पर नियत किये जाने वाले "कर" का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा संबंधित ठेकेदार के देयक से जी.एस.टी. का नियमानुसार कटौती/भुगतान किया जावेगा।

28. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावेगा।
29. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।
30. निविदा से संबंधित किसी भी वाद-विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
31. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
32. निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आरसीसी डिजाइन का अनुमोदन कार्य सम्पादन के पूर्व ठेकेदार द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री/सक्षम अधिकारी से कराया जाना होगा।
33. लागू SOR से भिन्न अतिरिक्त आयटमों का भुगतान सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही किया जा सकेगा।
34. अनुबंधानुसार ठेकेदार को डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि में समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा बताये गये सुधार कार्य कराये जाना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में डिफेक्ट लायबिलिटी निधि को राजसात करते हुए उक्त राशि से आवश्यक सुधार कार्य करवाने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
35. निविदा प्रपत्र एवं कार्य विभाग संहिता में दिये गये अनुदेशों तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी अनुदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य व बन्धनकारी होगा।
36. यदि निविदा में कोई संशोधन किया जाता है तो सिर्फ Web Portal <https://www.mptenders.gov.in> पर ही अपलोड किया जावेगा, समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

(आर.सी. जाटव)

अधीक्षण यंत्री

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

मण्डल ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 25/09/2023

पृ.क्रमांक/1069/ग्रा.यॉ.से./ई-निविदा/2023

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, प्रथम टी.सी.-4, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 'बी' विंग द्वितीय तल विन्ध्याचल भवन म.प्र. भोपाल।
3. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (पुराना सचिवालय) भोपाल परिक्षेत्र भोपाल।
4. कलेक्टर जिला शिवपुरी।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी।
6. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अशोकनगर / दलिया / गुना / ग्वालियर / शिवपुरी।
7. म.प्र. शासकीय ठेकेदार एसोसियेशन 32-सुन्दर नगर पिपलानी, बी.एच.ई.एल. भोपाल।
8. कार्यालयीन सूचना पटल पर चरप्पा हेतु।

अधीक्षण यंत्री

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

मण्डल ग्वालियर

क्रमांक/4281/नि०/प्रायासे/2023

शिवपुरी, दि० 10/10/2023

प्रति,

✓ जिला खनिज अधिकारी,  
जिला शिवपुरी, म०प्र०


विषय:- खनिज प्रतिष्ठान मद (DMF) के निर्माण कार्यों के संबंध में।

संदर्भ:- प्रशासकीय स्वीकृति मोदेश क्र. 850/जि: 09.प्र./2023 शिवपुरी दिनांक 31/07/2023

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला खनिज प्रतिष्ठान मद (DMF) योजना के अंतर्गत स्वीकृत निम्नलिखित निर्माण कार्यों की एजेसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को बनाया गया था, उक्त क्रम में निम्नलिखित कार्यों की निविदा कार्यवाही की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रं.	कार्य का नाम	विखं	आवंटन राशि	कार्यों की वर्तमान स्थिति
1	Protection work in wather harvesting tank in Surve no. 300	शिवपुरी	14.125	कार्यदेश जारी कार्य प्रारंभ
2	Protection work in wather harvesting tank in Surve no. 301	शिवपुरी	21.125	कार्यदेश जारी कार्य प्रारंभ
3	Chekdam Nirman karya Majhera survey no. 3007	शिवपुरी	10.85	अनुबंध कार्यवाही प्रचलित
4	Back Filling work of excavation	शिवपुरी	34.195	अधी० यंत्री कार्यालय से निविदा कार्यवाही प्रचलित
	कुल योग		80.295	

उपरोक्तानुसार निविदा कार्यवाही से संबंधित अभिलेख पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

  
कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग शिवपुरी, म०प्र०

Auditor Karera\_Nivida

कार्यालय 20 कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी

[Email ID- eeresshivpuri@mp.gov.in]

क्रमांक/4266/ग्रायांसे/निविदा शाखा/2023

शिवपुरी, दि. 07/10/2023

// सूचना पत्र //

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी  
ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग क्रं. 1 शिवपुरी
2. उपयंत्री श्री.....  
जनपद पंचायत.....  
ग्रा.यां.सेवा संभाग शिवपुरी

विषय - निर्माण कार्य आवंटित बाबत। (पंजीयन क्रमांक PWD230066550)

विषयांतर्गत लेख है कि इस संभाग द्वारा निर्माण कार्य वाटर हार्वैस्टिंग टैंक का सुरक्षा कार्य सर्वे नंबर 300 जनपद पंचायत शिवपुरी हेतु मैसर्स श्याम कंस्ट्रक्शन प्रो0 श्याम रघुवंशी से दिनांक 07.09.2023 को अनुबंध किया गया है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

1. स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यपालन यंत्री का मूल्यांकन पत्रक दिनांक - 06.10.2023
2. अनुबंध क्रमांक 27 दिनांक - 07.10.2023
3. अनुमानित लागत (PAC) - 11.52 लाख
4. ठेकेदार से प्राप्त निविदा दर - 34.89 प्रतिशत कम
5. ठेकेदार की अनुबंधित राशि - 07.50 लाख (जीएसटी पृथक से देय)
6. एस.ओ.आर - 11.04.2022
7. कार्यपूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित) 120 दिन (04 माह)

उक्त निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण आपको सौंपा जाकर निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 02 दिवस में स्थल पर ले आउट देकर कार्य प्रारंभ की लिखित सूचना कार्यालय को अवगत कराते हुए अनुबंधित लागत एवं निर्धारित अवधि में ठेकेदार से निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्य के संबंध में उत्पन्न किसी भी कठिनाई के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता से परामर्श किया जावे।

संलग्न :- निविदा प्रकरण (अनुविभागीय अधि. हेतु)

(जी.के.श्रीवास्तव)  
कार्यपालन यंत्री  
ग्रायांसे संभाग शिवपुरी  
शिवपुरी, दि. 07/10/2023

पृ.क्रमांक.....4266/ ग्रायांसे/निविदा शाखा./2023

प्रतिलिपि -

1. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. निविदाकार मैसर्स श्याम कंस्ट्रक्शन प्रो0 श्याम रघुवंशी, पार्क के पास शिवपुरी पब्लिक स्कूल जिला शिवपुरी की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा अनुबंधित उक्त निर्माण कार्य राहागक यंत्री एवं उपयंत्री के पर्यवेक्षण में निर्धारित अवधि में निष्पादित करना सुनिश्चित करें।
3. तकनीकी शाखा/ऑडिटर शाखा ग्रा.यां.सेवा संभाग शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित विभाग .....

संलग्न :- निविदा प्रकरण (ऑडिटर हेतु)

कार्यपालन यंत्री  
ग्रा.यां.सेवा संभाग शिवपुरी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी

[Email ID- eeresshivpuri@mp.gov.in]

क्रमांक. /4265/ ग्रायांसे / निविदा शाखा / 2023

शिवपुरी, दि. 07/10/2023

// सूचना पत्र //

प्रति,

- अनुविभागीय अधिकारी  
ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग क्रं. 1 शिवपुरी
- उपयंत्री श्री.....  
जनपद पंचायत.....  
ग्रा.यां.सेवा संभाग शिवपुरी

विषय – निर्माण कार्य आवंटित बाबत। (पंजीयन क्रमांक PWD230066550)

विषयांतर्गत लेख है कि इस संभाग द्वारा निर्माण कार्य वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का सुरक्षा कार्य सर्वे नंबर 301 जनपद पंचायत शिवपुरी हेतु मैसर्स श्याम कंस्ट्रक्शन प्रो0 श्याम रघुवंशी से दिनांक 07.09.2023 को अनुबंध किया गया है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

- स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यपालन यंत्री का मूल्यांकन पत्रक दिनांक – 06.10.2023
- अनुबंध क्रमांक 28 दिनांक – 07.10.2023
- अनुमानित लागत (PAC) – 17.28 लाख
- ठेकेदार से प्राप्त निविदा दर – 36.10 प्रतिशत कम
- ठेकेदार की अनुबंधित राशि – 11.04 लाख (जीएसटी पृथक से देय)
- एस.ओ.आर – 11.04.2022
- कार्यपूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित) 120 दिन (04 माह)

उक्त निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण आपको सौंपा जाकर निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 02 दिवस में स्थल पर ले आउट देकर कार्य प्रारंभ की लिखित सूचना कार्यालय को अवगत कराते हुए अनुबंधित लागत एवं निर्धारित अवधि में ठेकेदार से निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्य के संबंध में उत्पन्न किसी भी कठिनाई के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता से परामर्श किया जावे।

संलग्न :- निविदा प्रकरण (अनुविभागीय अधि. हेतु)

(जी.के.श्रीवास्तव)

कार्यपालन यंत्री  
ग्रायांसे संभाग शिवपुरी

शिवपुरी, दि. 07/10/2023

पृ.क्रमांक.....4265/ ग्रायांसे / निविदा शाखा. / 2023

प्रतिलिपि –

- अधीक्षक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- निविदाकार मैसर्स श्याम कंस्ट्रक्शन प्रो0 श्याम रघुवंशी, पार्क के पास शिवपुरी पब्लिक स्कूल जिला शिवपुरी की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा अनुबंधित उक्त निर्माण कार्य सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के पर्यवेक्षण में निर्धारित अवधि में निष्पादित करना सुनिश्चित करें।
- तकनीकी शाखा / ऑडिटर शाखा ग्रा.यां.सेवा संभाग शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संबंधित विभाग .....

संलग्न :- निविदा प्रकरण (ऑडीटर हेतु)

कार्यपालन यंत्री  
ग्रा.यां.सेवा संभाग शिवपुरी

Office Of the Executive Engineer, Rural Engineering Services  
Division Shivpuri (M.P.)

Registered AD

## LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

No. 4246 /RES/Tender/2023Shivpuri, Dated: 06/10/2023

To,

M/s. HARISHANKAR DUBEY,  
Prop. Harishankar Dubey  
Ashirwad Hospital ke Samne Shivpuri  
Distt. Shivpuri (M.P.)

Sub:- Chekdam Nirman Majhera GP Majhera Survey no 3007 JP Shivpuri Distt. Shivpuri.  
(Tender ID: 2023\_RES\_307870\_1)

Dear Sir (s),

Your bid for the work mentioned above has been accepted on behalf of the Governor of Madhya Pradesh at your bided percentage **32.56% Below** or at par the Bill of Quantities and item wise rates given therein.

You are requested to submit within 15 (Fifteen) days from the date of issue of this letter:

- The performance security/ performance guarantee of Rs. 30000.00 (in figures) (Rupees **Thirty thousand only**). The performance security shall be in the shape of term deposit receipt/ bank guarantee of any nationalized / schedule commercial bank valid up to three months after the expiry of defects liability period.
- Work Program .
- Submit stamp duty of contract amount. **-500.00**
- Submit Extra Security Deposit Amount - **156000.00**
- Sign the contract agreement

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the bid is **04 months** including rainy season, shall be reckoned from the date of signing the contract agreement.

Signing the contract agreement shall be reckoned as intimation to commencement of work and no separate letter for commencement of work is required. Therefore, after signing of the agreement, you are directed to contact the Engineer-in-charge for taking the possession of site and necessary instructions to start the work.

Executive Engineer  
RES Division Shivpuri  
Shivpuri, Dated: 06/10/2023

No. 4247 /RES/Tender/2023

Copy-

1- S.E. RES. Circle Gwalior M.P.

Executive Engineer  
RES Division Shivpuri

कार्यालय कलेक्टर (खनिज 23खा) जिला शिवपुरी म.प्र.

E-Mail: modgmshi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 1203

/3-6/खनि/क्यू.एल./2023

शिवपुरी, दिनांक...10-10-2023

//मांग-पत्र//

**Annexure 4 (Colly.)**

प्रति ,

पुष्पेन्द्र बुन्देला पुत्र श्री रावराजा सिंह  
निवासी ग्राम बिरोली तहसील पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के पालन अनुसार राशि जमा किये जाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी के ग्राम मझेरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 137 रकवा 3.95 हैक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर दिनांक 05/03/1998 से 04/03/2008 तक (10 वर्ष) की अवधि हेतु अनुबंधित रही ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के अनुसार आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा में उत्खनन से निर्मित गड्डों के पुर्नभरण हेतु 9,44,143/- रुपये वसूली योग्य है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मांग - पत्र की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त राशि जमा करावें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

  
(रवीन्द्र कुमार चौधरी)  
कलेक्टर  
जिला शिवपुरी म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र.

E-Mail: modgmsi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 1204

/3-6/खनि/क्यू.एल./2023

शिवपुरी, दिनांक..1.0..-1.0..-2.023

//मांग-पत्र//

प्रति ,

श्री नेतराम जाटव पुत्र श्री सोहरू जाटव

निवासी कस्बा करैरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के पालन अनुसार राशि जमा किये जाने बावत।

-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी के ग्राम मझोरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 300 रकवा 4.50 हैक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर दिनांक 27/06/1997 से 26/06/2007 तक (10 वर्ष) की अवधि हेतु अनुबंधित रही।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के अनुसार आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा में उत्खनन से निर्मित गड्डों के पुर्नभरण हेतु 7,71,170/- रुपये वसूली योग्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मांग - पत्र की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त राशि जमा करावें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र.

E-Mail: modgmsi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 1205

/3-6/खनि/क्यू.एल./2023

शिवपुरी, दिनांक..1.0..1.0..2023

//मांग-पत्र//

प्रति ,

सहकारी शिल्पकार संघ मर्या. अध्यक्ष इकरार खॉ पठान  
निवासी शिवपुरी , जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के; प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के पालन अनुसार राशि जमा किये जाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी के ग्राम मझेरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 139 रकवा 3.78 हैक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर दिनांक 20/02/2004 से 19/02/2009 तक (5 वर्ष) की अवधि हेतु अनुबंधित रही ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के अनुसार आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा में उत्खनन से निर्मित गड्डों के पुर्नभरण हेतु 1,95,395/- रुपये वसूली योग्य है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मांग - पत्र की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त राशि जमा करावें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

  
(रवीन्द्र कुमार चौधरी)  
कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र.

E-Mail: modgmshi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 1206

/3-6/खनि/क्यू.एल./2023

शिवपुरी, दिनांक...1.0...1.0...2.023

//मांग-पत्र//

प्रति ,

कमलेश्वर कंटिंग स्टोन पॉलिशिंग श्री राजेन्द्र गर्ग पुत्र श्री एम.एल.गर्ग  
निवासी शिवपुरी , जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A  
क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के पालन अनुसार राशि जमा किये  
जाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी के ग्राम  
मझेरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 300 , 301 रकवा 10.00 हैक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का  
उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर दिनांक 22/04/1997 से 21/04/2007 तक (10 वर्ष) की अवधि हेतु  
अनुबंधित रही ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A  
क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के अनुसार आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा  
में उत्खनन से निर्मित गडदों के पुर्नभरण हेतु 1582381/- रुपये वसूली योग्य है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मांग - पत्र की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त  
राशि जमा करावें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार  
कार्यवाही की जावेगी ।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज<sup>27</sup> शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र.

E-Mail: modgmshi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 1207

/3-6/खनि/क्यू.एल./2023

शिवपुरी, दिनांक...10-10-2023

//मांग-पत्र//

प्रति ,

श्री नितिन चौकसे पुत्र स्वं श्री सुरेश चौकसे  
निवासी कमलागंज , ए.बी. रोड , शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के पालन अनुसार राशि जमा किये जाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी के ग्राम मझोरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 314 , 316 रकबा 4.75 हैक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर दिनांक 05/02/2010 से 04/02/2020 तक (10 वर्ष) की अवधि हेतु अनुबंधित रही ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के अनुसार आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा में उत्खनन से निर्मित गड्ढों के पुर्नभरण हेतु 36,80,797/- रुपये वसूली योग्य है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मांग - पत्र की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त राशि जमा करावें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र.

E-Mail: modgmsi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 1208 /3-6/खनि/क्यू.एल./2023

शिवपुरी, दिनांक.10-10-2023

//मांग-पत्र//

प्रति ,

श्रीमती नीरज कुशवाह पत्नि श्री अभय सिंह कुशवाह  
निवासी चित्रा नगर , चौकसे धर्मशाला के पास , जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के पालन अनुसार राशि जमा किये जाने बावत।

-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी के ग्राम मझोरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 316 रकवा 4.00 हैक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर दिनांक 06/03/2004 से 05/03/2014 तक (10 वर्ष) की अवधि हेतु अनुबंधित रही ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के अनुसार आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा में उत्खनन से निर्मित गड्डों के पुर्नभरण हेतु 1,52,152/- रुपये वसूली योग्य है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मांग - पत्र की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त राशि जमा करावे अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

  
(रवीन्द्र कुमार चौधरी)  
कलेक्टर  
जिला शिवपुरी म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र.

29

E-Mail: modgmshi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 1209

13-6/खनि/क्यू.एल./2023

शिवपुरी, दिनांक..1.0.1.0.2.0.23

//मांग-पत्र//

प्रति ,

श्री धनंजय धाकड पुत्र श्री मिश्रीलाल धाकड  
निवासी छत्री रोड , शिवपुरी , जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बेंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के पालन अनुसार राशि जमा किये जाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी के ग्राम मझोरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 357 रकवा 0.790 हैक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर दिनांक 30/07/2008 से 29/07/2018 तक (10 वर्ष) की अवधि हेतु अनुबंधित रही ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बेंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के अनुसार आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा में उत्खनन से निर्मित गड्डों के पुर्नभरण हेतु 3,00,300/- रुपये वसूली योग्य है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मांग - पत्र की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त राशि जमा करावे अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज <sup>30</sup> शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र.

E-Mail: modgmshi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 1210

/3-6/खनि/क्यू.एल./2023

शिवपुरी, दिनांक..10.10.2023

//मांग-पत्र//

प्रति ,

श्रीमती नसरीन खॉन पत्नि श्री आफाक खॉन

निवासी सईसपुरा , मीट मार्केट के पास , शिवपुरी , जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के पालन अनुसार राशि जमा किये जाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी के ग्राम मझोरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 315 रकवा 1.50 हैक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर दिनांक 17/06/2008 से 16/06/2018 तक (10 वर्ष) की अवधि हेतु अनुबंधित रही ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के अनुसार आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा में उत्खनन से निर्मित गड्ढों के पुर्नभरण हेतु 29,70,888/- रुपये वसूली योग्य है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मांग - पत्र की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त राशि जमा करावें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र.

E-Mail: modgmshi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 1211

/3-6/खनि/क्यू.एल./2023

शिवपुरी, दिनांक...10-10-2023

//मांग-पत्र//

प्रति ,

तोरन बशंकार पुत्र श्री पहलू वंशकार  
निवासी ग्राम ढला तहसील पिछोर , जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के पालन अनुसार राशि जमा किये जाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी के ग्राम मझोरा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 139 रकवा 3.78 हैक्टेयर क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर दिनांक 08/12/1997 से 07/12/2007 तक (10 वर्ष) की अवधि हेतु अनुबंधित रही ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 408/2022 के O.A क्रमांक 101/2023 में पारित आदेश दिनांक 13/09/2023 के अनुसार आपके पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा में उत्खनन से निर्मित गडदों के पुर्नभरण हेतु 13,01,300/- रुपये वसूली योग्य है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मांग - पत्र की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर उपरोक्त राशि जमा करावें अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.



**VAKALATNAMA**

**IN THE COURT OF HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL**

(Rule 4(1) of the Rules framed under the Advocates Act, 1961)

Case No. OA no. 101/2023

Abhay Jain

APPLICANT

**V E R S U S**

State of M.P and others

RESPONDENT

I, the Petitioner/ Appellant/ Applicant/ Claimant/ Respondent/ Non-Applicant/ Defendant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead in aforesaid case proceedings which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the appellate, revisional or executing court in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorize them to sign and file pleadings, appeal, cross objections for the prosecution/defense of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by them as if done by me.

In witness whereof we do herewith set our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by us, this day of \_\_\_\_\_

**Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama**

Name & Father's/ Husband Name	Registered Address	E-Mail address (if any)	Telephone No. (if any)	Status in the case	Full Signature/ Thumb Print
ANOOP MISHRA S/O SHRI K.K MISHRA OIC	29 A Khanij Bhawan Arera Hills, Bhopal	anrgeonm@mp.gov.in	94251/10763	OIC	

Accepted:

**Particulars (in block letters) of each Advocate Accepting Vakalatnama**

Name and Enrollment No. in State Bar Council	Address for Service	E-Mail Address (if any)	Telephone Number	Full Signatures
PRASHANT M. HARNE	240 UCI Lawyers chamber, Arera Hills, Bhopal	harnegt@gmail.com	9425041311	